

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

रीडर/2025/1120

दिनांक - 11.03.25

प्रार्थीगण
जेठाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट
निवासी खेजड़ियाली, झाक
तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर

बनाग

अप्रार्थीगण
अमराराम पुत्र बागाराम वगैरा जातियान जाट
निवासी खेजड़ियाली, झाक तहसील बाटाडू व जिला
बाड़मेर जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बावत
राजस्व आवेदन संख्या :- 638/2024

दिनांक- 07/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण गौजा खेजड़ियाली पटवार हल्का झाक तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 353/257 रकबा 4.8540 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/1121-1124

दिनांक- 11.03.25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी झाक तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. जेठाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी खेजड़ियाली, झाक तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर
4. अमराराम पुत्र बागाराम वगैरा जातियान जाट निवासी खेजड़ियाली, झाक तहसील बाटाडू व जिला बाड़मेर जिला बाड़मेर


उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

